

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6, 1969/अग्रहायण 15, 1891
No. 197] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6, 1969/AGRAHAYANA 15, 1891

इस भाग में चित्रपृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

TARIFFS

New Delhi, the 6th December 1969

No. 11(1)-Tar/69.—The Tariff Commission has submitted its Report on the continuance of protection to the Sericulture Industry on the basis of an inquiry undertaken by it under Sections 11(e) and 13 of the Tariff Commission Act, 1951 (30 of 1951). Its recommendations are as follows:—

- (1) The continuance of protection to the Sericulture Industry for a further period of five years at the existing rates is recommended. With a view to keeping a watch on the progress of the sericulture industry, a review may be held every alternate year.
- (2) If at any stage imported raw silk is needed to be used for re-export after fabrication, full drawback of duty may be allowed. Concessional rates of duty on the plea that such silk is needed for export or for substitution of exported textiles would, however, not be justified.
- (3) As spun silk yarn has substantial export potential, it is advantageous to convert internally all the available silk waste and then export it. The existed export policy may be reviewed and further augmentation of installed spinning capacity considered if this becomes necessary for the purpose.

- (4) With the increase in the production of synthetic fibres it would be desirable to discourage internal consumption of silk and develop exports to the largest possible extent. Internal use of substitutes may be encouraged to the extent necessary.
- (5) Since prices of imported silk have a great impact on the domestic market, it is suggested that imports and distribution of imported raw silk should be canalised through the State Trading Corporation or the Central Silk Board, in order to avoid sudden fluctuations in the domestic prices.
- (6) Agreeing with the conclusions of the Filature Committee, it has been strongly recommended that the problem of improving the quality of reeling cocoons should be tackled at the basic level of production of mulberry leaves and cocoons.
- (7) The attention of the Central Silk Board as well as of the concerned State Governments is drawn to the alarming development in the increase in the cost of production of mulberry leaves and it is recommended that ways and means may be explored to bring down the cost of leaves.
- (8) Since the District of Dehra Dun in Uttar Pradesh is heavily forested, it would be desirable to undertake mulberry plantation in the forest areas where rearing operations can be conducted in order to provide plentiful supply of leaves to rearers. A planned silovicultural project for mulberry plantation is bound to yield good results and thereby increase the production of mulberry silk manifold.
- (9) The Indian sericulture industry has to improved its performance six-fold in order to reach Japanese standards. As a first step, irrigation facilities need to be introduced for all mulberry cultivation. Attention may also be given to the nutritive content of mulberry leaves to ensure healthy growth of worms and reduction in wastage by mortality.
- (10) It is strongly recommended that the basic principle, that all layings must be tested should be implemented and that the State Government of West Bengal may also enact suitable legislation to ensure that the seed producing grainages are licensed and adequately equipped for testing layings.
- (11) As the main reason for the reduction in the number of layings used in Jammu and Kashmir is said to be the general decline of sericulture in that State urgent attention should be devoted to the solution of the problem of the sericulture industry in that State.
- (12) Reiterating the recommendations made in the 1966 report, a note of warning is sounded that unless effective steps are taken to rejuvenate the industry in Jammu and Kashmir the industry may disappear from this State in the next ten years.
- (13) The quality of raw silk instead of improving, appears to have deteriorated since the 1966 inquiry. It is difficult to understand why steps were not taken to equip properly the testing houses, particularly when large sums are available for the purpose to research institutions and the Central Silk Board. It is hoped that this serious shortcoming will be removed urgently so that testing may be rendered scientifically correct and acceptable.
- (14) It has been recommended that the filatures may join the I.S.I. Certification Marking Scheme.

2. Government accept recommendation (1). Protection at the existing effective rates of protective duty to the products of the Sericulture Industry is proposed to be continued for a further period of five years ending on the 31st December, 1974. A slight rationalisation of the existing rates of protective duty on (i) silk yarn, including silk sewing thread and silk waste [Items Nos. 46(1), 47 and 47(1) C.T.], and (ii) silk fabrics (Item No. 48 I.C.T.) is proposed to be effected by adopting a single rate of duty in each case instead of the varying rates in force at present, as the differences have ceased to have any special significance. Necessary legislation for this purpose will be undertaken in due course.

3. As regards recommendation (3) while agreeing that it is to the national advantage to export silk yarn rather than silk waste, Government would observe that the present spinning capacity, including the capacity licensed appears to be adequate for this purpose.

4. With regard to recommendation (4) there is at present no indication that internal consumption is standing in the way of the export of silk fabrics. The question of taking steps to discourage the internal consumption of silk fabrics will be considered if and when a situation arises where internal consumption is found to be hampering exports.

5. As regards recommendation (5), Government accept the need to minimise fluctuations in the domestic prices of raw silk, in the interests of export promotion, besides the need for consolidating the internal demand. They have accordingly accepted the recommendation of the Tariff Commission for canalising the import of raw silk through the State Trading Corporation or the Central Silk Board.

6. With reference to recommendation (14), owing to the lack of adequate arrangements for grading and testing of silk, it is considered premature for flatures to join the I.S.I. Certification Marking Scheme. This may be feasible later when adequate arrangements for testing and grading are made.

7. Government have taken note of recommendations (2) and (6) to (12), and suitable steps will be taken to implement them to the extent possible. Recommendation (13) has also been noted and the Central Silk Board will look into the question further with a view to taking appropriate action. The attention of the concerned State Governments is invited to recommendations (6) to (12). The attention of the industry is particularly drawn to recommendation (9).

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

S. VENKATESAN Jt Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

संकल्प

टैरिफ

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1969

सं० 11(1)—टैरिफ/69—टैरिफ आयोग ने टैरिफ आयोग अधिनियम 1951 (1951 का 50) की धारा 11 (ई) तथा 13 के अधीन उसके द्वारा की गयी जाच के आधार पर रेशम-उत्पादन उद्योग को संरक्षण देना जारी रखने के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

- (1) यह सिफारिश की गयी है कि रेशम उत्पादन उद्योग के लिये विद्यमान दर पर आगामी पाँच वर्ष तक संरक्षण जारी रखना। रेशम उत्पादन उद्योग की प्रगति पर निगरानी रखने के लिये एक वर्ष छोड़ कर दूसरे वर्ष उसकी समीक्षा की जाय।
- (2) यदि किसी भी अवस्था में संविधान के पञ्चात् पुनर्नियत हेतु आयातित कच्चा रेशम प्रयुक्त करना जरूरी हो तो सम्पूर्ण शुल्क की वापसी की जानी चाहिए। परन्तु इस आधार पर शुल्क की रियायती देने का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता कि ऐसे रेशम की निर्यात के लिए अथवा निर्यातित वस्तु के स्थान पर जरूरत है।
- (3) चूंकि कर्तित रेशम धागे की भारी निर्यात संभाव्यता है अतः समस्त उपलब्ध रेशम व्यर्थ का स्वदेश में ही रूपान्तरण करके निर्यात करना लाभप्रद है। विद्यमान निर्यात

नीति की समीक्षा की जाए और यदि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक हो तो स्थापित करने क्षमता को और भी बढ़ाने के सम्बन्ध में विचारवाक्या जाए ।

- (4) संश्लिष्ट रेशो के उत्पादन में वृद्धि हो जाने से यह वांछनीय होगा कि रेशम की आन्तरिक खपत को हतोत्साहित किया जाए और यथासम्भव अधिक परिमाण तक उनके निर्यात को बढ़ाया जाए । यथावश्यक सीमा तक विकल्प वस्तुओं के आन्तरिक उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए ।
- (5) चूंकि आयातित रेशम के मूल्यों का स्वदेशी बाजारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है अतः यह सुझाव दिया जाता है कि स्वदेशी मूल्यों में आकस्मिक उतार-चढ़ाव रोकने के लिये आयातित कच्चे रेशम का आयात तथा बितरण राज्य व्यापार निगम अथवा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से ही किया जाना चाहिए ।
- (6) फिलेचर समिति के निष्कर्षों से सहमत होते हुए इस बात की जोरदार सिफारिश की गई कि रीलिंग कोयों की किस्म में सुधार करने की समस्या शहतूती पत्तों और कायों के उत्पादन के आरम्भिक स्तर पर ही हल की जानी चाहिए ।
- (7) केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों का ध्यान, शहतूत के पत्तों की उत्पादन लागत में चिन्तनीय वृद्धि की ओर आकृष्ट किया जाता है और यह सिफारिश की जाती है कि पत्तों की लागत को कम करने के मार्गोपायों का पता लगाया जाए ।
- (8) चूंकि उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में बने जंगल हैं अतः ऐसे बन क्षेत्रों में शहतूत के पेड़ लगाना वांछनीय होगा जहां रेशम के कीड़े पालने का काम किया जा सकता है ताकि कीड़े पालने वालों को प्रचुर परिमाण में पत्तों का संभरण किया जा सके । शहतूत के पेड़ उगाने हेतु एक सुनियोजित सिलोबीकल्चरल परियोजना से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और उनसे शहतूती रेशम के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो सकती है ।
- (9) जापानी स्तर तक पहुंचने के लिये भारतीय रेशम उत्पादन उद्योग को अपने निष्पादन में छः गुना सुधार करना है । पहले उपाय के रूप में सम्पूर्ण शहतूती कृषि के लिये सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करना जरूरी है । कीड़ों के स्वस्थ विकास तथा कीड़ों के मरने में होने वाली हानि को कम करने के लिये शहतूत के पत्तों में पोषक तत्वों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।
- (10) यह भी जोरदार सिफारिश की जाती है कि सभी अण्डों के अनिवार्य परीक्षण सम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्त का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और पश्चिमी बंगाल सरकार को उपयुक्त कानून बनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बीज उत्पादन-शालाओं का लाइसेंस करण हो और अण्डों के परीक्षक के लिये इनमें समुचित उपकरण हों ।
- (11) चूंकि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कीड़ों के अण्डे देने की संख्या में कमी का मुख्य कारण उस राज्य में रेशम उत्पादन का सामान्य हास बताया जाता है इस लिये उक्त राज्य के रेशम उत्पादन उद्योग की समस्याओं के समाधान की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(12) वर्ष 1966 के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को दोहराते हुए इस अभिप्राय की चेतावनी दी गई है कि यदि जम्मू तथा काश्मीर के उद्योग का कार्यान्वयन करने के लिए कारगर उपाय न किये गये तो आगामी दस वर्षों में इस राज्य में यह उद्योग समाप्त हो जाएगा ।

(13) कच्चे रेशम की किस्म में सुधार होने की अपेक्षा 1966 की जांच से गिरावट हुई लगती है । यह समझना कठिन है कि परीक्षण सदनों को उचित रूप से उपकरण जुटाने हेतु उपाय क्यों नहीं किये गए विशेषतः ऐसी अवस्था में जब कि गवेषणा संस्थाओं तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड को इस प्रयोजन के लिए विपुल राशि उपलब्ध है । यह आशा है कि इस गम्भीर कमी को तत्काल हटाया जायेगा ताकि परीक्षण वैज्ञानिक ढंग से सही तथा स्वीकार्य हो सके ।

(14) यह सिफारिश की गई है कि सूत्रण भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण मार्किंग योजना में शामिल हो ।

2. सरकार सिफारिश (1) को स्वीकार करती है । रेशम उत्तपादन उद्योग के उत्पादों से संरक्षण शुल्क की विद्यमान कारगर दरों पर संरक्षण को, जो 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हो रहा है, पांच वर्षों की और आगे की अवधि के लिये जारी रखा जाएगा । (1) रेशमी धागे पर रेशमी सिलाई धागे और रेशम व्यर्थ [मद सं० 46 (1) 47 तथा 47 (1) आई०सी०टी०] तथा (2) रेशमी वस्त्र (मद सं० 48 आई सी टी) सहित प्रत्येक मामले में इस समय लागू विभिन्न दरों की बजाए शुल्क की एक दर अपना कर, संरक्षण शुल्क की वर्तमान दरों के कुछ युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है क्योंकि विभिन्नताओं का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है । इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विधान यथाशीघ्र किया जायेगा ।

3. सिफारिश (3) के सम्बन्ध में इस बात पर सहमत होते हुए कि यह राष्ट्रीय हित में है, यदि रेशम बाई के बजाए रेशमी धाग का निर्यात किया जाए सरकार यह देखगी कि वर्तमान कताई, क्षमता, जिसमें लाइसेंस-शुद्ध क्षमता भी शामिल है, इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रहे ।

4. सिफारिश (4) के सम्बन्ध में इस समय ऐसा कोई संकेत नहीं है कि रेशमी वस्त्रों के निर्यात के मार्ग में आन्तरिक खपत बाधक है । रेशमी वस्त्रों की आन्तरिक खपत को निरुत्साहित करने के लिए उपाय करने के प्रश्न पर, जब कभी ऐसी स्थिति आती है जहां आन्तरिक खपत निर्यातों में बाधक पाई जाती है, विचार किया जायेगा ।

5. सिफारिश (5) के सम्बन्ध में सरकार, निर्यात सम्बन्धन के हित में, कच्चे रेशम के आन्तरिक मूल्यों में घट-बढ़ को न्यूनतम बनाने की आवश्यकता को, और उस के अतिरिक्त आन्तरिक मांग को समेकित करने की आवश्यकता को भी स्वीकार करती है । तदनुसार रेशम के आयात को राज्य व्यापार निगम अथवा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से ही सीमित करने के विषय में टैरिफ आयोग की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

6. सिफारिश (14) के संदर्भ में रेशम के श्रेणीकरण तथा परीक्षणों के लिए उपयुक्त प्रबन्धों की कमी के कारण सूत्रणों (फिलेचर्स) द्वारा भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण मार्किंग योजना में शामिल होने को समयपूर्व समझा जाता है । यह बाद में व्यवहार्य हो जब कि परीक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु उपयुक्त प्रबन्ध कर लिये गए हैं ।

7. सरकार ने (2) तथा (6) से (12) सिफारिशों को नोट कर लिया है और उन्हें संभव सीमा तक कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जायेंगे। सिफारिश (13) को भी नोट कर लिया गया है और केन्द्रीय रेशम बोर्ड उपयुक्त कार्यवाही करने के उद्देश्य से इस प्रश्न पर और आगे विचार करेगा। सम्बद्ध राज्य सरकारों का ध्यान (6) से (12) तक की सिफारिशों की ओर आकर्षित किया जाता है। उद्योग का ध्यान विशेष रूप से सिफारिश (9) की ओर आकर्षित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और उसकी एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी जाए।

एस० वेङ्कटेशन, संयुक्त सचिव।